न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : भुवनेश्वर सिंह चौहान (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र अपील सं. 17/2025 **GCMS No. 2025/74**

अपीलांट–	बनाम	उत्तरदातागण–
1. सांगाराम पुत्र पेमाराम जाति सुथार निवासी चौधरी जोगाराम नगर पटवार हल्का सवाउ पदमसिंह तहसील गिड़ा जिला बालोतरा	बनाम	1.मूलाराम पुत्र पेमाराम 2.जोगाराम पुत्र पेमाराम 3.खेता पुत्र मगना फौत के कायमुकाम 3/1 बुलाराम पुत्र खेताराम 3/2 बांकाराम पुत्र खेताराम 3/3 लालराम पुत्र खेताराम 3/4 जमनादेवी पत्नि खेताराम फौत के कायमुकाम उतरदाता स 3/1 से 3/3 तक रेकर्ड पर मोजुद है 4. तेजाराम पुत्र पनाराम जाति सुथार निवासी चौधरी जोगाराम नगर पटवार हल्का सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा 5. ओम प्रकाश पुत्र हनुमानराम जाति जाट निवासी धीरोणियों की ढाणी हाल निवासी चौधरी जोगाराम नगर तहसील गिड़ा 6. नोजीदेवी पत्नि मानाराम जाति जाट निवासी भोमाणियों की ढाणी हाल निवासी चौधरी जोगाराम नगर तहसील गिड़ा 7. पूनमाराम पुत्र धर्माराम जाति जाट निवासी हूडो की ढाणी कोसरिया तहसील बायतु जिला बालोतरा, हाल निवासी चौधरी जोगाराम नगर तहसील गिड़ा जिला बालोतरा। 8. रेखा चौधरी पत्नि महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी सियागो की ढाणी हाल निवासी चौधरी जोगाराम नगर तहसील गिड़ा 9. ओम प्रकाश पुत्र गोरधनराम 10. तुलछीदेवी पत्नी गोरधनराम 11. महेन्द्र कुमार पुत्र गोरधनराम 12. हीराराम पुत्र जोगाराम 13. नरसिंगाराम पुत्र टिकूराम 14. बाबुलाल चौधरी पुत्र टिकूराम जाति जाट निवासी चौधरी जोगाराम नगर तहसील गिड़ा। 15. भैराराम पुत्र देराजराम जाति जाट निवासी साईयों की ढाणी हाल निवासी चौधरी जोगाराम नगर तहसील गिड़ा 16.शाखा प्रबंधक राज.मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सवाऊ पदमसिंह 17. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गिड़ा 18. तहसीलदार बायतु जिला बालोतरा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आर्देश प्रशासन गाँव के सघं अभीयान 2001 केम्प अनुवर्तन शिविर क्रमांक/2001/942 दिनांक 22/01/2002 तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलांट व उतरदाता संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजित करने हेतु दिनांक 22/01/2002 को पारित किया।

उपस्थिति :–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री धमण्डाराम सारण उपस्थित।
2. उतरदातागण एवं उतरदाता के अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 27.05.2026

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के विरूद्ध आदेश प्रशासन गांव के संघ अभियान 2001 केम्प अनुवर्तन शिविर कमांक/2001/942 दिनांक 22.01.2002 तहसीलदार बायतु द्वारा सह खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन करने के लिए पारित किया गया। तहसीलदार बायतु द्वारा पारित निर्णय अनुसार तहसील गिड़ा के अपीलांटकर्ता एवं उतरदाता संख्या 1 से 4 की संयुक्त अपीलकर्ता खेत खातेदारी खसरा नम्बर कमशः 130, 130/1, 118, 118/1, 118/2, 118/3, 118/6 रकबा कमशः 65.05, 82.13, 88, 5.13, 1.04, 1.

05, 0.05 बीघा कुल रकबा 244.05 बीघा सरहद मौजा सवाऊ पदमसिंह पटवार क्षेत्र सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा में आया हुआ था। अपीलांट व उतरदाता संख्या 1 से 04 को विरासत में प्राप्त हुई है। जो समस्त भूमियां अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट सं. 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी है। यह हैं कि अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट उपरोक्त भूमियों का मौके पर कब्जा काश्त, रहवासीय ढाणिया, पशुओं का बाड़ा, चारवाड़ा, आवागमन के रास्ते इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सहमति से बंटवाड़ा कराने की मंशा जाहिर की, इसी दरमियान सभी पक्षकारान ने सहमति से विभाजन यह जानते हुए कि मौके पर जिस प्रकार कब्जा हैं, तथा मौके पर विभाजित होने वाली भूमियों में आवागमन का रास्ता उनके द्वारा चाहे गये स्थान पर रखा जाकर बंटवाड़ा किया जायेगा, इसलिए दोनों पक्षों ने सम्बन्धित पटवारी से मिल कर विभाजन प्रस्ताव मौके पर तैयार करवाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया और हल्का पटवारी को ऐसा कहने पर हल्का पटवारी द्वारा आश्वस्त किया गया कि, मौके पर काबिज अनुसार विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जावेगा, किन्तु हल्का पटवारी द्वारा अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट के मध्य जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। वक्त सहमति बंटवाड़ा मौके पर विपरीत स्थिति के विभाजित कर दिया, इसलिए ऐसे विभाजन प्रस्ताव, विभाजन की कार्यवाही व आदेश को यर्थार्थ स्वरूप में रखना न्याय हित में नहीं होने से निम्न आधारों पर अपीलकर्ता, मौके पर कब्जा काश्त, रहवासीय ढाणियां, चारवाड़े, पशुओं बाड़ें इत्यादि व आवागमन हेतु रखी गयी भूमि अनुसार तैयार नहीं कर मौके के विपरीत तैयार कर दिया, इस कारण सभी खातेदारों का हिस्सा सही नहीं होने से एक दुसरे के कब्जे के विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गयी, सह खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन आदेश प्रशासन गांव के संघ अभियान 2001 केम्प अनुवर्तन शिविर क्रमांक/2001/942 दिनांक 22.01.2002 को निरस्त करने हेतु अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

1.पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तथा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि तहसीलदार गिड़ा द्वारा अपीलाधीन आदेश प्रशासन गांव के संघ अभियान 2001 केम्प अनुवर्तन शिविर क्रमांक/2001/942 दिनांक 22.01.2002 को पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की हैं, इस कारण मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया।

2. अतः हमनें अपीलांट व अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पोड़ेट सख्या 01 सें 15 को पत्रावली पर पैरवी करने हेतु रजि.नोटिस जारी किया गया पर न्यायालय प्रभावी समय में पत्रावली पर पैरवी करने हेतु बार–बार रेस्पोड़ेट एवं रेस्पोड़ेट के अधिवक्ता को अवाज लगाई गई बावजूद आवाज रेस्पोड़ेट न्यायालय के नियत समय व समय समाप्ति तक अनु.0उपस्थित रहें। व अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3.आदिनांक को अपील स्वीकार कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा एक पक्षीय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकुल होने से अपील के अधिवक्ता की बहस सुनी गई आदेश निरस्त करने योग्य है।

4. अपील का तथ्य इस प्रकार है की शेष भाई–भतीजो उत्तरदाता संख्या 1 से 4 से पूछा तो उन्होने भी सहमति दी, जिस पर दोनो पक्षों ने पटवारी से मिलकर विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा काश्त एव रकबा का हिस्सा अपीलांट व उतरदाता संख्या 01 व 2 का संयुक्त 1/3 हिस्सा उत्तरदाता संख्या 3 का 1/3 हिस्सा उत्तरदाता संख्या 4 का 1/3 हिस्सा अनुसार तैयार करने को कहा, अतः इसी अनुसार खेतो में लाईन डालकर नक्शा तैयार किया। कि अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 1 से 4 ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विभाजन समझौता प्रस्ताव उतरदाता संख्या 1 से 4 ने विभाजन प्रस्ताव, नक्शे व जमाबन्दी पर हस्ताक्षर संलग्न नक्शे के अनुसार भूमि का विभाजन तैयार करवाने हेतु आवेदन तहसीलदार बायतु प्रशासन गाँव के संघ अभियान 2001 केम्प अनुवर्तन शिविर कमांक/2001/942 दिनांक 22/01/2002 तहसीलदार बायतु के समक्ष पेश किया तथा आवेदन प्रस्तुत कर अपीलांट वृध्दावस्था में होने के कारण तथा अनपढ़ होने का फायदा उठाकर बटवाड़ा तैयार किया गया है। जबकि अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 1 व 2 का 1/3 वा हिस्सा उत्तरदाता संख्या 3 का 1/3 हिस्सा, उतरदाता संख्या 4 का 1/3 हिस्सा तथा मौका कब्जा काश्त के अनुशार नक्शे में तरमीम किया जाना था परन्तु उतरदाता संख्या 4 द्वारा राजस्व कमचारियों से मिलावट कर कब्जा काश्त से भिन्न विभाजन तैयार करवाकर मुख्य जगह पर अपनी तरमीम करवा दी वादग्रस्त खसरान की भूमि बायतु से फलसुण्ड जाने वाली स्टेट हाईवे पर होने के कारण अपने फायदे हेतू उतरदाता संख्या 04 द्वारा गलत तरीके से विभाजन तैयार करवाया जिसकी जानकारी उस समय अपीलांट को नहीं हो सकी वर्तमान समय में भूमि के किमते बढने के कारण उतरदाता संख्या 04 व अन्य द्वारा अजनबी व्यक्तियों को भूमि बेचान हेतू मेरे कब्जे की भूमि बताई तब मूझे पता चला की विभाजन तैयार करते समय ही मुझे अंधेरे मे रखकर विभाजन का नक्शा तैयार करवाया गया। कि उतरदाता संख्या 4 ने पटवारी को प्रभावित कर इस विभाजन हेतु तैयार पूर्व के नक्शे व रकबे को बदलते हुये राजस्व अभियान के अन्दर आई भीड़ का फायदा उठाते हुऐ, अपीलांट व उत्तरदातागण द्वारा नक्शे पर किये गये हस्ताक्षर व अगुष्ठा निशान पर दुबारा उतरदातागण के कहे अनुसार

हल्का पटवारी ने नक्शा तैयार कर तहसीलदार बायतु के समक्ष पेश कर दिया इस समस्त कार्यवाही का अपीलांट को कोई ज्ञान नहीं होने दिया और अपीलांट के घर चले जाने के बाद विभाजन आवेदन तहसीलदार से तस्दीक करा दिया। कि इस विभाजन के नक्शे व रकबा का ज्ञान अपीलांट नहीं हुआ तथा विभाजन का नामान्तरकरण संख्या 814 ग्राम पंचायत सवाऊ पदमसिंह पटवार हल्का सपाऊ पदमसिंह से प्राप्त किया तथा तत्पश्चात आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतू तहसीलदार गिड़ा के बाद तहसील कार्यालय बायतु में विभाजन होने की जानकारी हुई। जरिये तहसील कार्यालय बायतु से विभाजन की नकले प्राप्त करने हेतू दिनांक 25/11/2025 को प्रतिलिपि आवेदन प्रस्तुत किया तथा जिस पर गलत रूप से उत्तरदातागण द्वारा करवाये गये विभाजन से अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि व ढाणीयां व टांके, पशु बाड़े, चारागाह आदि उत्तरदातागण के हिस्से में जाने की जानकारी अपीलांट को हुई, जिस पर अपीलांट को यह अपील पेश करने की आवश्यकता पड़ी। कि उक्त वादग्रस्त में उत्तरदाता संख्या 1 से 4 मूल बंटवाड़ा के पक्षकार है तथा उत्तरदाता संख्या 5 से 15 हितबन्ध खातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है एवं उत्तरदाता संख्या 16 व 17 के यहा भूमि रहन होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। और उतरदाता संख्या 18 द्वारा बंटवाड़ा आदेश करने के कारण पक्षकार बनाया गया है। कि अपीलांटगण की अपील निम्न आधारों पर पेश है जो निरस्त करने योग्य है।

5. कि विद्वान तहसीलदार बायतु ने अपीलांट आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। जो कि दो सह खातेदारान के मध्य जब भूमि का विभाजन किया जाये तब भूमि की उर्वरा स्थिति पक्षकारों के कब्जे काश्त की भूमि व ढाणीयां व टांके, पशु बाड़े, चारागाह व आसपास के गांवो की सरहद का ध्यान रखा जाना था। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, दस्तावेज का अवलोकन किया। एवं तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट जिसमें पाया कि खसरा नं. 130, 130/1, 118, 118/1, 118/2, 118/3, 118/6 रकबा क्रमशः 65.05, 82—13, 88, 5.13, 1.04, 1.05, 0.05 बीघा कुल रकबा 244—05 बीघा मौजा सवाऊ पदमसिंह पटवार क्षेत्र सवाऊ पदमसिंह के वर्तमान मौजा चौधरी जोगाराम नगर पटवार हल्का सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा में विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट मौके पर पहुंचकर निम्नानुसार तैयार की गई। जो कि इस प्रकार है।

6. सर्वप्रथम खसरा संख्या 118 रकबा 108.04 बीघा,खसरा संख्या 130 रकबा 158 बीघा कुल रकबा 266.04 बीघा में डामर सड़क तरमीम नान्तकरण संख्या 209 स्वीकृत दिनांक 15.05.1971 के अनुसार खसरा संख्या 130 में से 130/2 रकबा 10.07 बीघा, खसरा खंसरा संख्या 118 में से 118/4 रकबा 03.06बीघा, 118/5 रकबा 8.11 बीघा कुल रकबा 22.04 बीघाप भूमि सड़क तरमीम करते वक्त सहवन से शेष बची हुई सड़क के दोनो साईड की भूमि का रकबा बरारी करते समय तृटिपर्वूक खसरा संख्या 130 रकबा 65.05 बीघा, खसरा संख्या 130/1 रकबा 82.13 बीघा, खसरा संख्या 118 रकबा 88 बीघा, खसरा संख्या 118/1 रकबा 5.13 बीघा, खसरा संख्या 118/2 रकबा 1.04 बीघा, खसरा संख्या 118/3 रकबा 1.04 बीघा खसरा संख्या 118/6 रकबा 0.05 बीघा कुल रकबा 244.05 बीघा रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। जबकि वास्तविक धरातल पर सड़क पर मौके की स्थिति के मुताबिक खसरा संख्या 130 रकबा 0.77 बीघा, खसरा संख्या 130/1 रकबा 53.16 बीघा, खसरा संख्या 118 रकबा 93.18 बीघा, खसरा संख्या 118/1 रकबा शुन्य बीघा (मौके पर नही है) खसरा नं118/2 रकबा 7.02 बीघ कुल मौके अनसार रकबा 232.07 बीघर मौजूदा कब्जे में हैं। तथा सड़क तरमीम का रेकर्ड अनुसार कुल रकबा 22.04 बीघा के स्थानप र मौके पर सड़क के अधिन 26.07 बीघा भूमि सड़क के कब्जे में आ रही हैं ।

7. उपरोक्त, मौका कब्जा एवं सड़क तरमीन अन्तर के अलावा सरहद मौजा सवाउ मूलराज की सीमा पर ओवरलोप के कारण 13.16 बीघा भूमि मौके पर मौजूद नहीं है। जो संलग्न परिशिष्ठ अ.भू.नक्सा तरमीम अनुसार रेकर्ड की स्थिति एवं परिशिष्ठ ब मौके के अनुसार कब्जा एवं रकबा मय नक्शा तैयार किया गया हैं। जो मौका फर्द का अभिन्न अंग है। मौके एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति की जांच में वर्तमान बंटवाड़ा अनुसार तरमीम गलत दर्ज है जिसके कारण रकबा अनुसार यदि पैमाईश की जाती है तों पुराना कब्जा और सड़क मार्ग से उपर से रकबा पुरा किया जा सकता है लेकिन आवागमन एवं ढाणी, टांका, पेट्रोल पम्प, दुकानो, मकान आपस में सभी प्रभावित होते है इसके अलावा प्रार्थीगण का कब्जा अकेले का सीमा पर होने से ओवरलेप होने से भूमि कम पड़ती है।

8. अतः तरमीम संशोधन नहीं किया जाकर पूर्व में किया गया बंटवाड़ा निरस्त होने के पश्चात पुनः विभाजन प्रस्ताव किया जाना उचित रहेगा। तहसीलदार गिड़ा के रिपोर्ट के अनुसार राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के विरूद्ध आदेश प्रशासन गांव के संघ अभियान 2001 केम्प

अनुवर्तन शिविर क्रमांक/2001/942 दिनांक 22.01.2002 तहसीलदार बायतु द्वारा जारी आदेश निरस्त/अपास्त किये जाने योग्य हैं।

9. उक्त आदेश की पालना में पक्षकारान के खसरों का बंटवारों का विभाजन किया गया जिसमें मुख्य आपत्ति कब्जे को लेकर है, उक्त बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें एवं अपीलाधीन भूमि के संबंध में अपीलाधीन विरूद्ध आदेश प्रशासन गांव के संघ अभियान 2001 केम्प अनुवर्तन शिविर क्रमांक/2001/942 दिनांक 22.01.2002 निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति अनुसार बंटवाड़ा किया जावें। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय से सम्बन्धित अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपीलांटगण की अपील स्वीकार की जाती है।

अतः बाद विवेशन अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार गिड़ा आदेश विरूद्ध आदेश प्रशासन गांव के संघ अभियान 2001 केम्प अनुवर्तन शिविर क्रमांक/2001/942 दिनांक 22.01.2002 को अपास्त किया जाता है प्रकरण तहसीलदार गिड़ा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान की सहमति एवं मौके पर कब्जे काश्त, हिस्सा अनुसार भूमि के विभाजन का नया आदेश पुनः विधिवत आदेश पारित करें।

10. निर्णय आज दिनांक 27.05.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

(भुवनेश्वर सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा